



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175191

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29313 वर्ष 2026

साहिल अल्वी @ टैंटा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: जय राज

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आज सूचनादाता की ओर से श्री शंभु मणि त्रिपाठी एवं श्री अजय दुबे, अधिवक्तागण द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जय राज, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्तागण श्री शंभु मणि त्रिपाठी एवं श्री अजय दुबे तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 16 वर्ष 2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1), 61(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी, किंतु विवेचना के दौरान सह-आरोपी के बयान के माध्यम से धारा 61(2) बी.एन.एस. की सहायता से आवेदक को वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख से भी परिलक्षित होता है कि आवेदक ने मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी तथा मामले के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात सह-आरोपी रोहित @ फौजी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20371 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 21.07.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।
6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह दिनांक 21.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
9. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और विवेचना के दौरान सह-आरोपी के बयान के माध्यम से धारा 61(2) बी.एन.एस. की सहायता से उसे वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. आगे, अभिलेख से भी परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा मृतक को कोई चोट पहुंचाए जाने का कोई आरोप नहीं है। आगे, सह-आरोपी रोहित @ फौजी को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।
11. आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह दिनांक 21.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।
12. अतः ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
14. आवेदक-**साहिल अल्वी @ टेंटा** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”